।। न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर ।।

पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्र सिंह परमार, आर०ए०एस०

राजस्व प्रार्थना पत्र नं० 2/45 तारीख रज्जू 05.05.2016

एवं

राजस्व प्रार्थना पत्र नं० 2/88 तारीख रज्जू 28.07.2016

01– दिलीप सिंह पुत्र ढहरासिंह उर्फ ढेरा सिंह जाति सिक्ख निवासी ग्राम लिवारी तहसील एवं जिला अलवर –वादी

बनाम

01– सत्तू सिंह पुत्र ढहरासिंह उर्फ ढेरासिंह जाति सिक्ख निवासी ग्राम लिवारी तहसील व जिला अलवर

02– लालाराम पुत्र मिल्याराम जाति माली

03– हरिराम पुत्र मिल्याराम जाति माली निवासीयान धोबी घट्टा, अलवर तहसील व जिला अलवर।

04– चिम्मनलाल पुत्र गैंदाराम जाति माली निवासीयान धोबी घट्टा, अलवर तहसील व जिला अलवर।

05– गुल्याराम पुत्र गैंदाराम जाति माली निवासीयान धोबी घट्टा, अलवर तहसील व जिला अलवर।

06– राजेन्द्र कुमार सैनी पुत्र नारायण लाल सैनी जाति माली

07– नारायण लाल सैनी पुत्र रामलाल सैनी जाति माली निवासीयान लखण्डा वाला कुआ, बिजली घर चौराहा के पास, अलवर तहसील व जिला अलवर।

08– जितेन्द्र कुमार सैनी

10— संतोष कुमार अरोडा पुत्र ढल्ला राम अरोडा जाति अरोडा खत्री निवासी 6, विकास पथ, अलवर तहसील व जिला अलवर।

11— भूरू पुत्र हरबक्स जाति चमार निवासी ग्राम लिवारी तहसील व जिला अलवर।

12— संतोष बाई धर्म पत्नी स्व. मान सिंह जाति अहीर निवासी ग्राम लिवारी, तहसील व जिला अलवर।

13— मूल चन्द पुत्र परभाती जाति माली निवासी ग्राम लिवारी, तहसील व जिला अलवर।

14— जानकी देवी धर्मपत्नी संतोष कुमार अरोडा, जाति अरोडा खत्री, निवासी 6, विकास पथ, अलवर, तहसील व जिला अलवर।

15— प्रवीण कुमार पुत्र संतोष कुमार अरोडा, जाति अरोडा खत्री, निवासी 6, विकास पथ, अलवर, तहसील व जिला अलवर।

—असल प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण

16— साजन सिंह उर्फ साजू पुत्र स्व. श्री ढहरा सिंह उर्फ ढेरासिंह

17— कुन्दन सिंह पुत्र स्व. श्री ढहरा सिंह उर्फ ढेरासिंह

18— होशियार सिंह पुत्र स्व. श्री ढहरा सिंह उर्फ ढेरासिंह

19— पदमा कौर पत्नी स्व. बाबू सिंह पुत्र वधु स्व. श्री ढहरा सिंह उर्फ ढेरासिंह

20— रणजीत सिंह पुत्र स्व. बाबूसिंह पौत्र स्व. श्री ढहरा सिंह उर्फ ढेरासिंह

21— अनिल सिंह उर्फ सुरजीत सिंह पुत्र स्व. बाबूसिंह पौत्र स्व. श्री ढहरा सिंह उर्फ ढेरासिंह

22— रविन्द्र सिंह पुत्र स्व. बाबूसिंह पौत्र स्व. श्री ढहरा सिंह उर्फ ढेरासिंह

23— संजीव सिंह उर्फ संजीप सिंह पुत्र स्व. बाबूसिंह पौत्र स्व. श्री ढहरा सिंह उर्फ ढेरासिंह जाति सिक्ख, निवासीयान ग्राम लिवारी तहसील व जिला अलवर।

24— बच्चन सिंह पुत्र ठाकर सिंह पौत्र मक्खन सिंह जाति सिक्ख

... सिंह पौत्र मक्खन सिंह जाति सिक्ख

–तरतीबी प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण

29– पंजाब नेशनल बैंक शाखा उमरैण, तहसील व जिला अलवर जर्ये शाखा प्रबन्धक

30– भूमिधारी तहसीलदार अलवर जर्ये लैण्ड होल्डर

–तकमीली प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज० काश्तकारी अधिनियम 1955 व आदेश 39 नियम 01–02 तथा सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी

–: निर्णय :– दिनांकः 27.05.2019

वादी द्वारा एक दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 88, 89, 91 188 के अन्तर्गत पेश किया है। दावे के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 2/45 दिनांक 05.05.2016 तत्पश्चात प्रार्थना पत्र संख्या 2/88 दिनांक 28.07.2016 पेश किया है। वक्त दायरी दावा विभाजन की गई आराजी खसरा नम्बर सहवन से दर्ज करने से रह जाने के कारण अस्थाई निषेधाज्ञा का द्वितीय प्रार्थना पत्र 2/88 दिनांक 28.07.2016 पेश किया है। प्रार्थना पत्र संख्या 2/45 में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगा० 10 असल प्रतिवादी एवं 11 लगा० 25 तरतीबी प्रतिवादी दर्ज किये गये है। प्रार्थना पत्र संख्या 2/88 जो दिनांक 28.7.2016 को पेश किया गया है, जिसमें प्रार्थना पत्र संख्या 2/45 के असल प्रतिवादीगण के साथ भूरू पुत्र हरबक्स, संतोष बाई धर्म पत्नी स्व. मान सिंह, मूल चन्द पुत्र परभाती, जानकी देवी धर्मपत्नी संतोष कुमार अरोडा, प्रवीण कुमार पुत्र संतोष कुमार अरोडा के नाम जोडे गये है। प्रार्थना पत्र संख्या 2/45 में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 329 व 335 कें साथ आराजी खसरा संख्या 344, 345, 336, 339, 340, 337, 338, 341, 331, 333/792 व 330, 332, 332/807, 333, वाके ग्राम लिवारी तहसील अलवर जोडे गये है। चूँकि वादी एवं प्रतिवादीगण प्रतिवादी संख्या 11 लगा० 15 के अलावा समान है। इस कारण दोनो ही प्रार्थना पत्रों का निस्तारण एक साथ किया जाना हम उचित

0.01 है०, 338 रकबा 0.09 है०, 341 रकबा 0.04 है०, 331 रकबा 0.01 है०, 333/792 रकबा 0.05 है०, 330 रकबा 0.39 है०, 332 रकबा 1.34 है०, 332/807 रकबा 0.01 है०, 333 रकबा 0.75 है० वाके ग्राम लिवारी तहसील अलवर विवादित आराजी उक्त वाद में होना अंकित किया है। साबिक खसरा नम्बर 465/723 रकबा 05 बिस्वा व 473 मिन रकबा 14 बिस्वा जिसके हाल बन्दोबस्त सम्वत 2051 में हाल खसरा नम्बर 329 रकबा 0.38 है०, में से 0.06 है०, 335 रकबा 0.97 है०, में से 0.18 है० को मिलाकर हाल खसरा नम्बर 329 एवं 335 कायम किये है। आगे प्रार्थी ने जाहिर किया है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 329 रकबा 0.38 है०, में से 0.06 है० 335 रकबा 0.97 है०, में से 0.18 है०,का काबिज खातेदार काश्तकार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 तथा तरतीबी प्रतिवादी संख्या 16 लगा० 28 के पूर्वज स्व० खडक सिंह थे। विवादित आराजी वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 व तरतीबी प्रतिवादी की हिन्दू मुश्तर्का खानदान की पैतृक अविभाजित आराजी है। जिसके प्रार्थी का 1/12 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/12 हिस्सा व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 16 लगा० 18 प्रत्येक का 1/12 हिस्सा तथा 19 लगा० 23 का 1/12 हिस्सा व 24 लगा० 26 का 1/2 में से 1/6 हिस्सा 27 व 28 का 1/6, 1/6 हिस्सा एवं प्रार्थी एवं अप्राथीगण सामलात में काश्त करते चले आ रहे है एवं काबिज खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी के पिता का स्वर्गवास प्रार्थी के दादा खडकसिंह के जीवनकाल में ही हो गया था। प्रार्थी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 17 एवं 18 नाबालिग थे। जो सरपरस्त सत्तूसिंह थे। साबिक खसरा नम्बर 473 रकबा 14 बिस्वा व 465/723 रकबा 05 बिस्वा का अन्य खसरा नम्बरान के साथ प्रतिवादी संख्या 1 ने गलत रूप से कीमत कर्जा भरके हकूक खातेदारी मु० पट्टा नम्बर 35/Reh/84/16/887 दिनांक 14.08.1984 तहसीलदार कम मैनेजिंग आफिसर अलवर से प्राप्त कर लिया। जिस सनद पट्टा के आधार पर नामान्तकरण संख्या 434 प्रतिवादी संख्या 1 के हक में स्वीकार किया गया है। जिसके आधार पर जमाबन्दी में प्रतिवादी संख्या 1 सत्तू सिंह के नाम खातेदारी अंकित की गई है। उक्त इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 सत्तू सिंह ने प्रतिवादी संख्या 2 लगा० 5 के हक में विवादित ... खसरा नम्बर 473 मिन रकबा 14 बिस्वा व 465/723

उक्त वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व तरतीबी प्रतिवादीगण की पैतृक सम्पत्ति है। जिस पर सामलात में सभी काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। चूँकि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या के पिता ढेहरासिंह उर्फ ढेरा सिंह का स्वर्गवास खडकसिंह के जीवनकाल में ही हो गया था। तरतीबी प्रतिवादी संख्या 17 व 18 नाबालिग थे प्रतिवादी संख्या–1 खानदान का कर्ता था। कर्ता होने का नाजायज फायदा उठाते हुए उक्त आराजी की खातेदारी अकेले स्वयं के नाम प्राप्त कर ली। चूँकि आराजी पैतृक थी इसलिये सभी के नाम पट्टा जारी होना चाहिए था। प्रतिवादी संख्या–1 ने अपने नाम पट्टा जारी कराकर उसका नाजायज फायदा उठाते हुए उक्त आराजी का बयनामा प्रतिवादी संख्या 2 लगा० 5 के हक में बिना जरेबदल व बिना कब्जा दिये बयनामा कराया है जो बयनामा प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थीगण के हकूको के खिलाफ बातिल एवं बेअसर व नाकाबिल पाबन्दी है। प्रतिवादी संख्या 2 लगा० 5 ने बयनामे के आधार पर नामान्तकरण संख्या 435 अपने हक में ग्राम पंचायत उमरैण द्वारा दिनांक 15.11.1984 को स्वीकार करा लिया एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगा० 5 का नाम कागजात माल में अमल दरामद हो गया। नामान्तकरण संख्या 435 प्रतिवादी संख्या 2 लगा० 5 के हक में दर्ज होकर स्वीकार हुआ है जिसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया गया है। असल अप्रार्थी संख्या 2 लगा० 15 द्वारा विवादित आराजी का दिनांक 6.10.2015 को विभाजन कराया गया है। जिस विभाजन के आधार पर अप्रार्थी संख्या 2 लगा० 15 के हक में नामान्तकरण संख्या 496 व 506 दर्ज होकर स्वीकार किये गये है। उक्त नामान्तकरण दर्ज व स्वीकार हो जाने से अप्रार्थीगण प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त में मजाहमत करने व उक्त आराजी को बेचान करने पर तुले हुए है। विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 329 रकबा 0.38 है०, 335 रकबा 0.97 है०, 344 रकबा 0.69 है०, 345 रकबा 0.91 है०, 336 रकबा 0.02 है०, 339 रकबा 0.21 है०, 340 रकबा 0.11 है०, 337 रकबा 0.01 है०, 338 रकबा 0.09 है०, 341 रकबा 0.04 है०, 331 रकबा 0.01 है०, 333/792 रकबा 0.05 है०, 330 रकबा 0.39 है०, 332 रकबा 1.34 है०, रकबा 0.01 है०, 333 रकबा 0.75 है० वाके ग्राम लिवारी तहसील

अप्रार्थीगण को बेजा रूप से नुकसान पहुँचाने की गर्ज से अपने आप को फायदा पहुँचाने की दृष्टि से यह समस्त कार्यवाही की है, जो विभाजन प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण के हक हकूको के खिलाफ बातिल व बेअसर नाकाबिल पाबन्दी है एवं नामान्तकरण संख्या 496 व 506 निरस्त किये जाने योग्य है एवं जमाबन्दी में जो इन्द्राज उक्त नामान्तकरणों के आधार पर हुए है प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगणों के हक हकूको के मुकाबले बातिल व बेअसर नाकाबिल पाबन्दी करार दिये जाने योग्य है। अन्त में प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन करते हुए विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 329 रकबा 0.38 है०, 335 रकबा 0.97 है०, 344 रकबा 0.69 है०, 345 रकबा 0.91 है०, 336 रकबा 0.02 है०, 339 रकबा 0.21 है०, 340 रकबा 0.11 है०, 337 रकबा 0.01 है०, 338 रकबा 0.09 है०, 341 रकबा 0.04 है०, 331 रकबा 0.01 है०, 333/792 रकबा 0.05 है०, 330 रकबा 0.39 है०, 332 रकबा 1.34 है०, 332/807 रकबा 0.01 है०, 333 रकबा 0.75 है० वाके ग्राम लिवारी तहसील अलवर को किसी भी प्रकार से रहन, बय हिबे आदि के द्वारा मुन्तकिल ना करने व प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत ना करने की प्रार्थना की है।

प्रार्थना पत्र संख्या 2/45 दिनांक 05.05.2016 पर वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। पत्रावली व राजस्व रिकॉर्ड की नकलात का अवलोकन करने पर एवं वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस पर मनन करने एवं शपथपत्र पर विश्वास करते हुए प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में पाये जाने पर दिनांक 05.05.2016 को अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से, आराजी खसरा नम्बर 329 रकबा 0.38 है० व 335 रकबा 0.97 है० वाके ग्राम लिवारी तहसील अलवर में रिकार्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को पाबन्द किया गया एवं प्रार्थना पत्र संख्या 2/88 दिनांक 28.07.2016 वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। पत्रावली व राजस्व रिकॉर्ड की नकलात का अवलोकन करने पर एवं वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस पर मनन करने एवं शपथपत्र पर विश्वास करते हुए प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में पाये जाने पर आराजी खसरा नम्बर 344 रकबा 0.69 है०,

करने एवं रिकार्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को पाबन्द किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किये जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2,3,4,5, व 10 ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाब पेश किया। जवाब में अंकित किया है कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 465/723 व 473 जिनका हाल खसरा नम्बर 329 व 335 कायम किये गये है। जिनका प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार था। जिसके हक में सनद पट्टा 14.08.1984 को जारी हुआ था। उक्त आराजी का प्रतिवादी संख्या 1 सत्तू सिंह खातेदार काश्तकार था जिसने दिनांक 23.08.1984 को जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा प्रतिवादी संख्या 2 लगा० 5 को बेचान कर दिया। जिसका इंतकाल नम्बर 351 उनके नाम खोला गया। उसके पश्चात प्रतिवादी संख्या 4 व 5 ने अपने खातेदारी के खरीदशुदा आराजी को प्रतिवादी संख्या 10 को विक्रय कर दिया। जिसका इंतकाल प्रतिवादी संख्या 10 के हक में दर्ज व मंजूर हुआ। जिसके पूर्ण जानकारी प्रार्थी वादी को शुरू से थी तथा प्रतिवादी संख्या 3 ने अपनी आराजी को अन्य प्रतिवादी संख्या 6,7,8,9 व 11 को विक्रय किया है। जिनके हक में इंतकाल खोले गये। तद्उपरान्त खातेदारान ने अपनी आराजी का विभाजन तहसीलदार अलवर के कार्यालय से कराया जिसका इंतकाल खोला जाकर स्वीकार किये जा चुके है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र में दर्ज करना की आराजी पैतृक आराजी है गलत है। खरीदशुदा आराजी प्रतिवादी संख्या–1 सत्तू सिंह की खातेदारी की आराजी थी। जिसे प्रार्थीगण ने जरिये रजिस्टर्ड बयनामा 32 वर्ष पूर्व खरीद किया था। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में तरतीबी प्रतिवादी संख्या 16 लगा० 19 के पति/पिता का कर्ता खानदान प्रतिवादी संख्या–1 था जिसकी परवरिश में प्रतिवादी संख्या 17 व 18 रहते थे। वाद का मिथ्या आधार बनाने की गर्ज से अंकित किया है। प्रतिवादी संख्या 1 के हक में विवादित आराजी खसरा नम्बर 473, 465/723 का पट्टा उसकी अन्य आराजी के साथ जारी कराया गया हो यह कथन प्रार्थी का गलत है। प्रतिवादी संख्या 2 लगा० 5 ने प्रतिवादी संख्या 1 को भारी प्रतिफल अदा कर जर्ये बयनामा दिनांक 27.08.1984 उसमें वर्णित आराजी खरीद की है जिसे विक्रय किया जा चुका है। क्रेतागण द्वारा आपसी विभाजन कर विभाजन का

जिसे आराजी को विक्रय करने का पूर्ण हक व अधिकार था। जिसने भारी प्रतिफल प्राप्त कर आराजी का विक्रय कर कब्जा दिया था जिसके आधार पर इंतकाल खोला जाकर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज हुये है। प्रार्थी दिलीप सिंह व अप्रार्थी संख्या 1 सत्तू सिंह व तरतीबी अप्रार्थीगण आपस में भाई भतीजे व संयुक्त परिवार के सदस्य है जिन्होंने बमिल्लत यह झूठा वाद व प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान् में पेश कराया है। प्रार्थी ने बदनियति पूर्वक स्वयं की जन्मतिथी अंकिन नही की है। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी ने बालिग होने के उपरान्त मुताबिक कानून मियाद निकलने के उपरान्त इस तथ्य को छुपाते हुए यह वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश किया है जो किसी भी रूप में कानूनन पोषनीय नही है। अप्रार्थी संख्या 2 लगा० 5 के हक में इंतकाल संख्या 435 दिनांक 15.11.1984 को स्वीकार किया गया था जिसे लगभग 32 वर्ष पश्चात गलत बताना खिलाफ कानून है। इस इंतकाल को प्रार्थी द्वारा कोई चुनौती नही दी गई है एवं ना ही बयनामा को कानूनन किसी न्यायालय को चुनौती दी गई है। प्रतिवादी संख्या 2 लगा० 5 के हक में किये गये इन्द्राजात मुताबिक कानूनन है जो बातिल, बेअसर नाकाबिल पाबन्दी नही है। प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजी में कोई हक किसी प्रकार का नही है। प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं नापूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थी के पक्ष में ना होकर अप्रार्थी संख्या 2,3,4,5 व 10 के पक्ष में है। प्रार्थी ने इंतकाल संख्या 351, 434, 496 व 506 को किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी है। कागजातमाल में अप्रार्थी संख्या 2,3,4,5, व 10 के पक्ष में जो इन्द्राजात हुए है वो बिल्कुल सही है। प्रार्थी शुद्ध हस्त से न्यायालय में उपस्थित नही हुआ है एवं उसने इरादतन अपनी जन्म तिथी भी दर्ज नही की है ओर ना ही यह दर्ज किया है की प्रार्थी कब बालिग हुआ है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 6,7,8,9 व 11 की ओर से न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया। जवाब में अंकित किया है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम लिवार तहसील अलवर में स्थित है जो प्रार्थी ने विवादित बताया है। यह आराजी विवादित नही है हम अप्रार्थीगण ने जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा खरीद की है। यह आराजी तन्हा अप्रार्थी संख्या 1 सत्तूसिंह के हकूक कब्जे काश्त

खरीद से ही हम अप्रार्थीगण का कब्जा चला आ रहा है। सर्व प्रथम सत्तू सिंह द्वारा दिनांक 27.08.1984 को आराजी मुतनाजा 465/723 रकबा 5 बिस्वा, 470 रकबा 5 बिस्वा, 471 रकबा 2 बिस्वा, 472 रकबा 3 बिस्वा व 474 रकबा 14 बिस्वा चिम्मन लाल, गुल्याराम पिसरान गैंदाराम, लालाराम, हरिराम पिसरान गिल्याराम जाति सैनी को बेचान किया, जिसका इंतकाल संख्या 351 चढ़ गया। प्रवीण अरोडा पुत्र सन्तोष कुमार ने 337, 338, 341 में 1/6 हिस्सा 336, 337, 340 किता 3 में से रकबा 5 बिस्वा में से 1/6 हिस्सा आराजी खसरा नम्बर 344, 345 में से 1/6 हिस्सा जो इंतकाल संख्या 51 हो गया है। सन्तोष कुमार पुत्र ढल्लाराम ने उपरोक्त नम्बरान में अपना हिस्सा भूरू पुत्र हरबक्स जाति चमार खसरा नम्बर 334, 345, किता 2 जितेन्द्र पुत्र तनेलाल को दिनांक 11.05.2006 को सन्तोष कुमार पुत्र ढल्लाराम, श्रीमति जानकी पत्नी सन्तोष कुमार, प्रवीण कुमार पुत्र सन्तोष कुमार ने अपना हिस्सा जितेन्द्र कुमार पुत्र तनेलाल को दिनांक 04.07.2005 को बेचान कर दिया। सन्तोष कुमार पुत्र ढल्लाराम अरोडा, जानकी देवी पत्नी सन्तोष कुमार, प्रवीण कुमार पुत्र सन्तोष कुमार ने अपना हिस्सा, नारायण लाल सैनी पुत्र रामलाल को बेचान दिनांक 15.07.2005 को कर दिया। सन्तोष कुमार पुत्र ढल्लाराम, जानकी देवी, प्रवीण कुमार ने राजकुमार सैनी पुत्र नारायण लाल को दिनांक 15.07.2005 को बेचान कर दी जिसका इंतकाल नम्बर 506 चढा। सत्तूसिंह द्वारा जो चिम्मन लाल, गुल्याराम पुत्र गैंदाराम को आराजी बेची थी उसका इंतकाल दिनांक 1.10.1984 को इंतकाल नम्बर 435 भूरू पुत्र हरबक्स के हक में दिनांक 6.10.2015 को चढा दिया। तहसीलदार कम मैनेजिंग आफिसर, अलवर द्वारा जो पट्टा वादग्रस्त आराजी का जारी किया गया है उसे निरस्त करने का अधिकार न्यायालय श्रीमान को नही है। अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में इंतकाल खातेदारदी आराजी मुतनाजा व अन्य आराजी का दिनांक 23.08.1984 को दर्ज व स्वीकार किया है। प्रार्थी ने मौजूदा दावा सन् 2016 में पेश किया है। प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में इंतकाल खातेदारी संख्या 434 का इल्म वक्त दर्ज होने इंतकाल प्रार्थी को प्रार्थी सन् 1988 में बालिग हो गया था। प्रार्थी ने 29 साल बाद यह वाद एवं प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान् में पेश किया है जो किसी भी प्रकार से चलने योग्य नही है। इंतकाल संख्या 434 प्रतिवादी संख्या 1 काबिल मान्य है। बातिल, बेअसर काबिल पाबन्दी नही है। प्रतिवादी संख्या 6,7,8,9 व 11 द्वारा मौके पर बटवारा तहसीलदार अलवर के यहां से कराया जा चुका है। बटवारे

प्रतिवादी संख्या–1 ने साबिक खसरा नम्बर 470 रकबा 3 बिस्वा, 471 रकबा 2 बिस्वा, 472 रकबा 3 बिस्वा, 474मिन रकबा 14बिस्वा 465/723मिन रकबा 5 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा जर्ये बयनामा दिनांक 27.8.1984 के चिम्मनलाल, गुल्याराम पिसरान गैंदाराम, लालाराम, हरिराम पिसरान मिल्या राम जाति सैनी निवासी धोबी घट्टा को फरोक्त कर कर दिया। टहलसिंह पुत्र निहाल सिंह ने आराजी खसरा नम्बर 473मिन 10 बिस्वा जर्ये दस्तावेज बयनामा 4.6.1984 को चिम्मनलाल, गुल्याराम, पिसरान गैंदाराम, लालाराम, हरिराम पिसरान मिल्याराम जाति सैनी निवासी धोबी घट्टा को फरोक्त कर दिया। हम प्रतिवादीगण संख्या 6,7,8,9 व 11 ने आराजी मुतनाजा खरीद की है। बाद खरीद हम प्रतिवादीगण व अन्य सहकाश्तकारान प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन आराजी मुतनाजा व अन्य आराजी बाबत डी. आर. साहब के आदेश क्रमांक 5052 दिनांक 6.10.2015 के तहत आराजी मुतनाजा व अन्य आराजियात का विभाजन हो चुका है। विभाजन के तहत हम प्रतिवादीगण व अन्य सहकाश्तकारान प्रतिवादीगण के नाम इंतकाल विभाजन नं० 506 दर्ज व स्वीकार फरमाया जा चुका है। हम प्रतिवादीगण विवादित आराजी मुतनाजा पर काबिज दाखिल है। वादग्रस्त आराजी पैतृक नही है। खरीदशुदा आराजी पर खरीद की दिनांक से ही काबिज रहकर काबिज चले आ रहे है। प्रार्थी का यह कहना गलत है कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पट्टा गलत जारी हुआ हो व प्रतिवादी संख्या 1 ने सही प्रकार से तत्कालीन मोटी रकम लेकर बयनामा प्रतिवादी संख्या 2 लगा० 5 के हक में कराया है। बयनामा 27.08.1984 का है। जिसे वाद में प्रार्थी को चुनौती देने का अधिकार नही है। बयनामा निरस्त करने का अधिकार न्यायालय श्रीमान् को नही है। प्रार्थी व तरतीबी प्रतिवादीगण को यदि प्रतिवादी संख्या 1 के हक में जारी पट्टा बाबत एतराज था तो मियाद में सनद पट्टे के विरूद्ध मैनेजिंग आफिसर के विरूद्ध अपील की जानी चाहिए थी। न्यायालय श्रीमान् को पट्टा निरस्त करने का कोई अधिकार नही है। प्रार्थी द्वारा प्रतिवादी संख्या 6,7,8,9, व 11 व अन्य के द्वारा मौके पर बटवारा हो जाने पर इंतकाल दर्ज हो गया है। जिस पर प्रार्थी ने कब्जे की रिपोर्ट भी प्रतिवादीगण संख्या 6,7,8,9, व 11 के हक में ... प्रार्थना पत्र में चुनौती नही दी है। इस कारण प्रार्थना पत्र

खातेदार काबिज दाखिल है। आराजी मुतनाजा का क्रय विक्रय निम्न प्रकार हुआ है। सन्तोष कुमारा अरोडा पुत्र ढल्लाराम अरोडा ने अपनी आराजी खसरा नम्बर 337 रकबा 0.01 है०, खसरा नम्बर 338 रकबा 0.09 है०, 341 रकबा 0.04 है० किता 3 रकबा 0.14 है० में से हिस्सा 7 बिस्वा में से 1/6 हिस्सा व खसरा नम्बर 336 रकबा 0.02 है०, 339 रकबा 0.21 है०, 340 रकबा 0.11 है० किता 3 में से 15 बिस्वा में से 1/6 हिस्सा, रकबा 0.22 है० को ग्राम लिवारी तहसील अलवर में था को दिनांक 10.03.2000 को ऊंची कीमत लेकर प्रतिवादी संख्या 11 को बेचान कर दिया। इसी प्रकार जानकी पत्नी सन्तोष कुमार अरोडा ने अपना हिस्सा खसरा नम्बर 344 रकबा 0.69 है० 345 रकबा 0.91 है० किता 2 रकबा 1.60 है० 7 ऐयर में से 1/6 हिस्सा भूरू पुत्र हरबक्स जाति चमार को दिनांक 7.4.2000 को जर्ये रजिस्टर्ड बेचान कर दिया। प्रवीण कुमार अरोडा पुत्र संतोष कुमार अरोडा उपरोक्त नम्बरान में अपना सम्पूर्ण हिस्सा भूरू पुत्र हरबक्स को बेचान कर दिया। जो इंतकाल नम्बर 49, 50, 51 इन विक्रेताओं के नाम चढे थे को चुनौती नही दी गई। संतोष कुमार पुत्र ढल्ला राम ने आराजी खसरा नम्बर 344 रकबा 0.69 है० 345 रकबा 0.51 है० कुल किता 2 रकबा 1.60 है० तथा 1है60 ऐयर में से 1/32 हिस्सा सम्पूर्ण अंश जितेन्द्र कुमार सैनी पुत्र तनेलाल सैनी निवाासी इमलीवाला कुआं को बेच दिये। सन्तोष कुमार, श्रीमती जानकी देवी, प्रवीण कुमार ने दिनांक 4.7.2005 को खातेदारी की जमीन खसरा नम्बर 329 रकबा 0.38 है०, 330 रकबा 0.39 है०, 332 रकबा 1.34 है०, 32/807 रकबा 0.01 है०, 333 रकबा 75 है०, 335 रकबा 0.97 है० किता 6 रकबा 3.84 है० में से 1/2 हिस्सा सम्पूर्ण अंश में से 1/4 हिस्सा व आराजी खसरा नम्बर 331 रकबा 0.01 है०, गैर मुमकिन चाह में से अपना सम्पूर्ण अंश में से 1/4 हिस्सा व खसरा नम्बर 333/792 रकबा 0.05 है० में से 1/2 सम्पूर्ण अंश में से 1/4 हिस्सा व आराजी खसरा नम्बर 361/815 रकबा 0.34 है० में से 1/2 हिस्सा सम्पूर्ण अंश में से 1/4 हिस्सा वाके ग्राम लिवारी तहसील अलवर भारी कीमत देकर जितेन्द्र कुमार पुत्र तनेलाल सैनी निवासी ईमलीवाला कुआं, अलवर ने दिनांक 4.5.2007 को खरीद लिया। सन्तोष कुमार, जानकी देवी, प्रवीण कुमार ने खसरा नम्बर 329 रकबा 332/807 रकबा 0.01

लाल सैनी लखण्डा वाला कुआ अलवर से भारी कीमत लेकर बेचान कर दिया। संतोष कुमार, जानकी देवी, प्रवीण कुमार ने बयनामा दिनांक 15.7.2005 को खसरा नम्बर 329 रकबा 0.38 है०, 330 रकबा 0.39 है०, 332 रकबा 1.34 है०, 335 रकबा 0.97 है० किता 6 रकबा 3.84 है० अपने हिस्सा 1/2 में से 1/4 हिस्सा व खसरा नम्बर 331 रकबा 0.01 में से 1/4 हिस्सा व खसरा नम्बर 333/792 रकबा 0.05 है० में से 1/2 हिस्सा में से 1/4 हिस्सा, व खसरा नम्बर 361/815 रकबा 0.34 है०, 1/4 हिस्सा जर्ये रजिस्टर्ड बयनाम बेचान कर दिया। संतोष कुमार, जानकी देवी, व प्रवीण कुमार ने अपना हिस्सा नारायण लाल सैनी पुत्र रामलाल सैनी लखण्डावाला कुआं अलवर को जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 15.7.2005 को तत्कालीन बढी कीमत देकर खरीद कर लिया। खसरा नम्बर 329, 330, 332, 332/807, 333, 335, 331, 333/792, 361/815 में से हिस्सा बेचने वालो का था दिया गया। सभी के इंतकाल चढ चुके है। कागजात माल में बतौर खातेदार दर्ज है एवं आराजी मुतनाजा पर काबिज है। वादी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।

अप्रार्थीगण संख्या 1, 12, 13, 15 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 09.01.2019 को इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के इन्ग्रीडियेंश 01–प्रथम दृष्टया केस 02– सुविधा का सन्तुलन 03– अपूर्णिय क्षति का हवाला देकर प्रार्थना पत्र में दर्ज विवरण को दोहराते हुए न्यायालय को निवेदन किया को वादग्रस्त आराजी हाल खसरा नम्बर 329 रकबा 0.38 है०, 335 रकबा 0.97 है०, 344 रकबा 0.69 है०, 345 रकबा 0.91 है०, 336 रकबा 0.02 है०, 339 रकबा 0.21 है०, 340 रकबा 0.11 है०, 337 रकबा 0.01 है०, 338 रकबा 0.09 है०, 341 रकबा 0.04 है०, 331 रकबा 0.01 है०, 333/792 रकबा 0.05 है०, 330 रकबा 0.39 है०, 332 रकबा 1.34 है०, 332/807 रकबा 0.01 है०, 333 रकबा 0.75 है० वाके ग्राम लिवारी तहसील अलवर विवादित आराजी उक्त वाद में होना अंकित किया है। साबिक खसरा नम्बर

कुमार, जानकी देवी व प्रवीण कुमार को बेचान कर दिया है जिन्होने उक्त आराजी का बेचान भूरू, राजकुमार, राजेन्द्र कुमार, मूलचन्द, नारायण लाल हेमलता, जीतेन्द्र कुमार को जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा बेचान कर दिया। जिस बेचान के आधार पर खरीददारों के पक्ष में इंतकाल दर्ज हुए है। जिन्होने आपसी सहमति से तहसील अलवर में विधिक बटवारा कर लिया है। बटवारेनामे पर पटवारी हलका एवं भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर ही बटवारानामा स्वीकार हुआ है एवं इस बटवारेनामे के आधार पर ही इंतकाल दर्ज हुए है। पटवारी हलका एवं भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट से यह बात सिद्ध होती है कि वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थीगण का मौके पर कब्जा नही है। अपूर्णिय क्षति प्रार्थी दिलीप सिंह को ना होकर अप्रार्थीगण लालाराम, हरिराम, चिम्मनलाल, गुल्याराम, राजेन्द्र कुमार, नारायण लाल, जीतेन्द्र कुमार, हेमलता, सन्तोष कुमार, भूरू, सन्तोषबाई, मूल चन्द, जानकी देवी व प्रवीण कुमार को होती है। अपूर्णिय क्षति को सिद्ध करने में प्रार्थी असफल रहा है एवं वास्तव में खरीददारों को यदि पाबन्द किया जाता है तो अपूर्णिय क्षति होगी। इस कारण अप्रार्थीगण संख्या 2 लगा० 15 अपूर्णिय क्षति को साबित करने में सफल रहे है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 एवं आदेश 39 नियम 1–2 के बिन्दु प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलत व अपूर्णिय क्षति अप्रार्थी संख्या 2 लगा० 15 के पक्ष में पाये जाने पर प्रार्थना पत्र संख्या 2/45 में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 05.05.16 एवं प्रार्थना पत्र संख्या 2/88 में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 28.07.2016 को वैकेट कर खारिज किया जाना उचित समझते है। अतः दोनो ही प्रार्थना पत्रों में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। निर्णय आज दिनांक 27.05.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(देवेन्द्र सिंह परमार)
सहायक कलक्टर
अलवर